(17)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कोर्ट कैम्प रीवा

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित मुख्यालय जहाँगीराबाद भोपाल

M-5163-II/17 द्वारा जिला विपणन अधिकारी विपणन कार्यालय सीधी जिला – सीधी (म0प्र0)

.... आवेदक

बनाम

समकरण साहू वगै0

...................अनावेदक

<u>आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 35(3) भू.रा.सं.</u>

मान्यवर,

आवेदनपत्र के आधार निम्नलिखित है :–

1. यहकि उक्त उन्मान प्रकरण की निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन थी, जो श्रीमानजी के द्वारा दिनांक 09.03.2016 को निगरानीकर्ता के अधिवक्ता के उपस्थित न होने के कारण अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है।

2. यहकि उक्त प्रकरण में सीधी के अधिवक्ता आकर प्रकरण को दायर किया गया था व पैरवी हेतु रीवा के अधिवक्ता को नियुक्त किया गया था, जिनके द्वारा ही प्रकरण में पेशियां ली जाती रही है, परंतु दिनांक 0.3.2016 को अधिवक्ता महोदय उपस्थित नहीं हुए जिस कारण से प्रकरण अदम पैरवी मे खारिच हो गया।

3. यहकि सीधी के अधिवक्ता जब भी प्रकरण में पैरवी कर रहे अधिवक्ता महोदय से प्रकरण के संबंध में पूछते रहे है तब उनके द्वारा यह बताया जाता रहा है कि प्रकरण में अभी तक सुनवाई नही हुई हैं। दिनांक 13.04.2016 को सीधी के अधिवक्ता जब रीवा आये तब उनके द्वारा प्रकरण की पडताल की गई, जिसमें से वर्ष 2016 की केश डायरी देखने पर पता चला कि प्रकरण अदम पैरवी में

M 5163-III/17 सीधी (66) [illegible]

म०प्र० राज्य सह— रामकरण साहू

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावक आदि के हस्ताक्षर
17/5/17	आवेदक अधिवक्ता श्री विवेक शर्मा उपस्थित होकर उनके द्वारा रेस्टो. आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि R. 1605-III/13 अदम पैरवी में निरस्त हो गया है उसे पुनः नम्बर पर लिये जाने का अनुरोध किया गया है अतः आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा R. 1605-III/13 आ.दि. 9/3/16 पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं रेस्टो. आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रकरण पा.प. हो। सदस्य	17/5/2017

M

शाक्षेमुग्वा—766—फॉर्म्स—23-3-13—10,000 प्रपत्र.